Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में कृषि पर्यवेक्षक 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अगस्त, गुरूवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दयाराम कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत मलवानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा आवेदित डिग्गी निर्माण की फाईल को पास करवाने की एवज में दयाराम कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत मलवानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा **40 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के **पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नाई** के सुपरवीजन में एसीबी हनुमानगढ़ इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष चंद्र** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए दयाराम पुत्र श्री रामेश्वर निवासी ग्राम बरवाली, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत मलवानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।